विचार बिन्दु

दुर्भावना को मैं मनुष्य का कलंक समझता हूँ। –महात्मा गाँधी

नई फ़िल्म पर्यटन नीति से किसका भला होगा कोई नहीं जानता

राज्य सरकार ने 'राजस्थान फ़िल्म टूरिज़्म प्रमोशन पॉलिसी 2022' घोषित की है। इस नीति के दो भाग है। पहला तो इस पॉलिसी के शीर्षक वाला भाग तथा दूसरा 'राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति'का भाग। शासन में यही होता आया है कि शासकीय नीतियां लोक प्रतिनिधि नहीं सचिवालय के अधिकारी बनाते हैं। उन्हें बनाने में उन हितधारकों की कोई भूमिका नहीं होती जो इस नीतियों से प्रभावित होने वाले होते हैं। बताया जाता है कि इस फ़िल्म नीति को बनाने के पहले राजस्थान के फ़िल्मकारों को बुलाया कर यह पूछने की औपचारिकता जरूर पूरी की गई कि बताइए आपको इस नीति में क्या चाहिए। कुछ लोगों से कहा गया कि वे अपने सुझाव ई-मेल से भेज दें। कुछ ने भेजे भी। मगर अंत में विभिन्न राज्यों की पॉलिसियों को लेकर कट पेस्ट जैसा कुछ करके इस नीति का प्रारूप बना लिया गया। मगर उसके प्रारूप पर फ़िल्म व्यवसाय और फ़िल्म कला से जुड़े लोगों के साथ कभी कोई संवाद या मंथन नहीं हुआ। मौजूदा राजनीतिक कोलाहल के दौर में सरकार जिस प्रकार रस्म अदायगी कर रहीहै वही इस नीति में भी बयान होता है। इस नीति के अंतर्विरोध तो इसकी प्रचार पुस्तिका के लिए दिये गये मुख्यमंत्री के संदेश से ही सामने आने लगते हैं जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं के कारण देश और दुनिया में विशेष पहचान रखता है। प्रदेश के समृद्ध स्थापत्य कला से युक्त दुर्ग, महल, मंदिर, हवेलियां, स्मारक, जलाशय झीलें बावड़ियां विश्व विख्यात हैं। यहां के नैसर्गिक सौन्दर्य से सरोबार आबू पर्वत, सुनहरी बालू के टीलों से सजा मरुस्थल, और लोक संस्कृति के विविध रूप फिल्म जगत के लिये आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिन्दी और अनेक विदेशी भाषाओं की फ़िल्मों की शूटिंग और उनके प्रदर्शन से राजस्थान की सतरंगी संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार होता रहा है। जब ऐसा शानदार काम पहले से ही है तब नई नीति की क्या जरूरत आन पड़ी? सच तो यह है कि दो भागों वाली यह नीति संकल्पना के स्तर पर ही स्पष्ट नहीं है। शासन फ़िल्मों के जरिए राजस्थान में पर्यटन को बढ़ा कर कमाने का व्यावसायिक मॉडल चाहता है, या राजस्थानी भाषा, कला और संस्कृति तथा इस भाषा की फ़िल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है? किसी ने तो यह टिप्पणी तक की है कि पर्यटन के पोषण के लिए कला-संस्कृति का शोषण किया जा रहा है। सरकार का अपना प्रशासनिक अंतर्विरोध भी इस नीति में आ गया है। पहले पर्यटन तथा कला और संस्कृति का एक ही विभाग होता था। फिर सरकार ने विषयों के दो अलग विभाग बना दिये। अब तो दोनों विभागों के मंत्री भी अलग-अलग हैं मगर इन दोनों ही विभागों का प्रशासनिक सचिव एक ही है। ऐसे प्रशासनिक अंतर्विरोधों को न समझ पाने वालों से विषय की गंभीरता की क्या अपेक्षा की जा सकती है!

भले ही अकादमिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि पहली राजस्थानी फिल्म 'निज़राणों' 80 बरस पहले 1942 में बनी, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से राजस्थानी फिल्म निर्माण की शुरुआत उसके बीस बरस बाद 1961 की 'बाबासा री लाडली' से ही मानी जाएगी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता तथा इसके गानों की धूम से राजस्थानी फिल्म निर्माण की राह तो बन गई मगर वह ऐसे किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी जहां राजस्थानी सिनेमा की अलग पहचान स्थापित हो सकती। राजस्थानी सिनेमा का स्वरूप इस प्रदेश की संस्कृति और भाषा से ही बन सकता है। जितने भी क्षेत्रीय सिनेमा पनपे हैं वे सब अपने क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति की मजबूत नींव पर खड़े है। राजस्थानी सिनेमा को बनाने की तो अभी नींव ही नहीं खुदी है। राजस्थानी सिनेमा की इमारत यहां की भाषा और संस्कृति की बुनियाद पर ही खडी हो सकती है। दुर्भाग्य से प्रदेश की संस्कृति शासन में बैठे लोगों की प्राथमिकता में कहीं नहींहै। कला-संस्कृति के नाम पर पर्यटन विभाग जो कुछ करता है वह बाज़ार की ताकतों के जरिए इवेंट प्रबंधन से अधिक कुछ नहीं होता। मंचों पर व प्रदर्शनियों में प्रशासनिक अधिकारियों के मरजीदानों के लटकों-झटकों को ही राजस्थानी कला और संस्कृति मान लिया जाता है। इसी का विद्रूप उदाहरण राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान की इस नीति में भी मिलता है। अनुदान देने के लिए इस नीति में एक फिल्म परीक्षण समिति की व्यवस्था है जो अनुदान के लिए फ़िल्मों का चयन करेगी। कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय इस चयन समिति में सिर्फ़ दो गैर सरकारी सदस्य होंगे। नई नीति यह भी कहती है कि राजस्थानी फिल्म निर्माण के विभिन्न विभागों से जुड़े विशेषज्ञों का पैनल अलग से तैयार किया जायेगा तथा जरूरत के मुताबिक पैनल के विशेषज्ञ को फिल्म परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा। अब कोई पूछे कि जब राज्य में फिल्म निर्माण की कोई जमीन ही नहीं है तो विशेषज्ञ कहां से आएंगे। नीति का सारा जोर गुणवत्ता वाली राजस्थानी फ़िल्मों पर है और उनकी गुणवत्ता का निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों की बहुमत वाली समिति करेगी। सब जानते हैं कि प्रशासन में पहुंच चलती है।

जरूरत है कि ऐसी नीतियां सिनेमा को समझने वाले लोगों को सक्रिय रूप से साथ लेकर बनाई जाय। कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें निर्माता, निर्देशक, कलाकार, तकनीकी लोग, वितरक और प्रदर्शक आदि फैसला करें और नौकरशाह का काम सिर्फ़ उनके निर्णयों की पालना और उनके क्रियान्वयन का हो। यह मुद्दा सभी हितधारकों के बीच गंभीर संवाद की अपेक्षा रखता है।

नीति कहती है कि सिनेमाघर में फ़िल्म चलनी चाहिये। मगर सिने व्यवसाय वाले कहते हैं कि आज हालत यह है कि राजस्थानी फ़िल्मों को प्रदर्शन के लिए सिनेमाघर नहीं मिलते। सिनेमाघर चलाने वाले कहते हैं कि उन्हें चलाने के जितने खर्चे हैं राजस्थानी फ़िल्में उतनी कमाई नहीं देती। नई नीति में इस प्रमुख समस्या का जिक्र ही नहीं है। सरकार को पिछले काफी समय से यह सुझाव दिया जाता रहा है कि राज्य के प्रत्येक सिनेमाघर को प्रतिवर्ष कुछ निश्चित शो राजस्थानी फ़िल्में प्रदर्शित करने की वैसी कानूनी बाध्यता की जाय जैसी महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में है। केरल में तो सरकार के अपने सिनेमाघर भी हैं जहां केवल वहां की क्षेत्रीय भाषाओं की फ़िल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। और देखें, नीति की शर्तें कहती है कि फिल्म 2-के में या 35 एमएम फॉर्मेट में होनी चाहिये। इस नीति को बनाने वालों को कोई बताये कि 35 एमएम फॉर्मेट तो इस डिजिटल युग में कोई अस्तित्व ही नहीं है।चलचित्र अब सेल्यूलॉयड पर नहीं बनते। सारी फिल्में डिजिटल फॉर्मेट में ही बनती है। साथ में नीति शर्त लगाती है कि फिल्म 2-के में बने तभी अनुदान के योग्य होगी। तो आज की तारीख में राजस्थान में इसके सिनेमाघर ही गिने चुने हैं। बड़े मल्टीप्लेक्स के अलावा तो 2-के प्रदर्शन की क्षमता वाले सिनेमाघर है ही नहीं। एक अनोखा पैरा इस नीति में राजस्थानी भाषा की फिल्म को राज्य की जीएसटी की छूट का है। टैक्स मुक्त होने से टिकट दर कम हो जाती है जिससे अधिक दर्शकों के आने को प्रोत्साहन मिलता है। यह नीति कहती है कि यह सुविधा लेने के लिए सिनेमाघर के टिकट के खरीददार से तो जीएसटी की राशि नहीं ली जायेगी मगर फिल्म निर्माता को टैक्स की छूट का लाभ लेने के लिए उतनी राशि सरकार को पहले सरकार में जमा करानी पड़ेगी जो बाद में उसे वापस लौटा दी जायेगी। जिस निर्माता के पास अपनी फिल्म सिनेमाघर में लगाने के पैसे नहीं है वह कैसे एडवांस राशि जमा करा सकेगा यह तो नीति बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारी ही जाने।

नीति का एक और अंतर्विरोध देखें कि फ़िल्म पर्यटन नीति में तो डॉक्युमेंट्री फिल्म का जिक्र है मगर उसी के दूसरे भाग राजस्थानी फिल्म प्रोत्साहन नीति में उसका जिक्र नहीं है। डॉक्युमेंट्री फ़िल्मों पर बड़ा खर्च नहीं आता इसलिए इस नीति के पहले भाग के अनुसार दो करोड़ रुपयों के खर्च नहीं होने से वे फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन लाभ से वंचित रह जायेगी। राजस्थानी भाषा की फ़िल्मों के अनुदान वाले दूसरे भाग में तो उनको शामिल ही नहीं किया गया है। इसी प्रकार राजस्थानी शॉर्ट फिल्मों के लिए भी इस नीति में कोई जगह नहीं है। फिल्म पर्यटन नीति कहती है कि इसका लाभ उन फ़िल्मों को मिलेगा जिनकी कुल निर्माण लागत में से दो करोड़ रुपये राजस्थान में खर्च हों। राजस्थानी फिल्में बनाने वाला तो बड़ी मुश्किल से करीब 50 लाख में फिल्म बना पाता है।

जब प्रदेश में राजस्थानी भाषा और संस्कृति का ही कोई धणी-धोरी न हो तब राजस्थानी फ़िल्मों को खाद पानी कहां से मिले। देश में जहां क्षेत्रीय फिल्में अपना ऊंचा रुतबा बनाये हुए हैं वे वो प्रदेश हैं जहां स्कूलों में उनकी भाषा पढ़ाई जाती है। हमारे यहां अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोली जाती है लेकिन प्रदेश के लोगों की मातृभाषा की बात करने वाला पिछड़ा माना जाता है। शासन में कला-संस्कृति का नाम सिर्फ़ ब्रांडिंग और माल बेचने के लिए लिया जाता है। ऐसे में राजस्थानी सिनेमा दिखाने का या उसके प्रोमोशन के किसी चैनल की तो कल्पना करना ही दूर की बात है। जरूरत है कि ऐसी नीतियां सिनेमा को समझने वाले लोगों को सक्रिय रूप से साथ लेकर बनाई जाय। कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें निर्माता, निर्देशक, कलाकार, तकनीकी लोग, वितरक और प्रदर्शक आदि फैसला करें और नौकरशाह का काम सिर्फ़ उनके निर्णयों की पालना और उनके क्रियान्वयन का हो। यह मुद्दा सभी हितधारकों के बीच गंभीर संवाद की अपेक्षा रखता है। यह गंभीर संवाद करवाने की शासन की जिम्मेवारी बनती है। किसी ने पूछा है कि क्या कभी कोई राजस्थानी फिल्म 'बाहुबली' या 'आरआरआर' जैसी धूम मचा सकती है? नई नीति से तो ऐसी कल्पना करना बेमानी है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राह भटकता साक्षरता कार्यक्रम

आज 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसे प्रतिवर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन सभी लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया जाता है एवं इस कार्य में नि:स्वार्थ भाव से जुटे साक्षरता कर्मियों को सम्मानित किया जाता है।

गत कुछ वर्षों में साक्षरता की बात तक होना बंद हो गया है। सरकारों ने शायद यह समझ लिया है कि जनता, शत प्रतिशत साक्षर हो चुकी है। वास्तविकता यह है कि देश में अब भी करोड़ों की संख्या में लोग असाक्षर हैं। राजस्थान राज्य में ही इनकी संख्या लगभग 1.50 करोड़ है। इनके लिए यदि कोई कार्यक्रम सुनियोजित रूप से नहीं चलाया गया और इन्हें हाशिए पर ही छोड़ दिया गया, तो आने वाले समय में हम पुन: पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है किन्तु राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत जो 2001 में 61 प्रतिशत तक पहुंच गया था, वह 2022 में भी 70 प्रतिशत से कम ही है।

कल 7 सितंबर को राजेंद्र जोशी द्वारा लिखित लेख ''साक्षरता कार्यक्रम में कॉपी पेंसिल और प्रवेशिका को स्थान नहीं'' पढ़कर अत्यंत आश्चर्य हुआ और साथ ही दुख भी। विशेषकर इसलिए कि मुझे लगभग सवा 4 वर्ष, जुलाई 1996 से अक्टूबर 2000 तक, निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा तथा सचिव राज्य साक्षरता मिशन, के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। इस अवधि में मुझे राज्य के सभी जिलों के शहरों और गांवों में साक्षरता अभियान से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने, साक्षरता कर्मियों के उत्साहवर्धन करने ,पंचायत, तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले साक्षरता कर्मियों को सम्मानित करने का मौका मिला। समाज के सभी वर्गों एवं सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों ने बढ़-चढ़कर इस अभियान में अपनी आहुति दी। यही कारण था कि पूरे देश में राजस्थान ने साक्षरता के काम में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। 1991 और 2001 की जनगणना में 23 प्रतिशत अंक की वृद्धि अंकित की जो देश के राज्यों में सबसे अधिक थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पहली बार महिला साक्षरता की दर में पुरुषों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि हुई। राजस्थान को महिला साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार वर्ष 2000 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के समारोह में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया, जिसे प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं यह सब केवल आत्मा प्रशंसा की दृष्टि से नहीं लिख रहा हूं अपितु पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा हूं कि जिस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए जोर शोर से पूरे देश में और विशेषकर राजस्थान में लाखों कार्यकर्ताओं ने लागू किया, उसे इतना महत्वहीन बना दिया गया है।

अब कहा जा रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद अब कागज पर लिखने-पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल कंप्युटर के माध्यम से असाक्षरों को साक्षर बनाने की बात करना हवाई किले बनाने जैसा है। किस प्रकार हम लाखों कार्यकर्ताओं को राज्य में शेष बचे लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने में उपयोग कर पाएंगे? दुर्भाग्य यह है कि इसके संबंधित नीतियां दिल्ली के वातानुकूलित कक्ष में बैठकर बना ली जाती हैं, बिना धरातल की वास्तविकताओं को ध्यान में रखे। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि आज

राजेन्द्र भाणावत

भा गावा म 24 घट ानबाध रूप स बिजली उपलब्ध नहीं है। क्या सबके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या इन्टरनेट वाले स्मार्ट मोबाइल हैं? थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि बिना अक्षर ज्ञान के भी मोबाइल काम में लिया जा सकता है, तो क्या हम यह भी मान लें कि अब व्यक्ति को कागज पर कुछ लिखा हुआ पढ़ने अथवा उसके द्वारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है और जो ऐसा न कर पाए, उसे भी हम साक्षर मानना प्रारंभ कर दें?

यह एक वास्तविकता है कि आज भी लाखों की संख्या में बच्चे, बाल श्रम में लगे हुए हैं एवं इसी कारण वे नियमित रूप से विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। गत 2 वर्षों की कोरोना की महामारी में तो इस स्थिति को और भी विकट बना दिया है।

सतत शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें विभिन्न प्रकार की साक्षरता जैसे वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आदि से जोड़ना था। दुर्भाग्य से, ये सब कार्यक्रम लगभग समाप्त कर दिए गए और इस कार्य में जुड़े प्रेरकों को वर्षों तक भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया जो स्वाभाविक था। कुल मिलाकर इसका खामियाजा तो उन्हीं को उठाना पड़ा जो या तो निरक्षर थे या नव साक्षर बने थे। 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' 2009 लागू करने के बाद भी विद्यालय से बाहर बच्चे शिक्षा से वंचित ही रहे और बड़े होकर ये निरक्षरों की श्रेणी में सम्मिलित हो गए। यही कारण है कि आज 2001 के बाद 20 वर्ष होने के बावजूद, राजस्थान में निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक है।

साक्षरता दिवस के अवसर पर शिक्षा से संबंधित सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं सरकारी अधिकारियों से आग्रह है कि वह पूरे कार्यक्रम की निष्पक्ष समीक्षा करें। तब वे स्वयं ही इसका उत्तर ढूंढ लेंगें कि क्या राजस्थान में बिना कॉपी, पेंसिल और प्रवेशिका के साक्षरता अभियान चलाया जा सकता है? इस पर पुनर्विचार कर आवश्यकता के अनुसार इस में आवश्यक संशोधन करें। यदि केंद्र सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही न भी करे तो शिक्षा ,राज्य का विषय होने के नाते, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पहल करके अपने राज्य के निरक्षर व्यक्तियों के हितों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस हेतु एक प्रकार का सकारात्मक वातावरण समाज में बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण पुस्तकालयों को पुनर्जीवित करके, विभिन्न गांव में सतत शिक्षा की अवधारणा के आधार पर केंद्र स्थापित करके, उनके बहुआयामी विकास की व्यवस्था करना तथा साक्षरता को केवल शिक्षा विभाग का कार्य न मानते हुए इसे सरकार का एक प्रमुख दायित्व मानते हुए इसमें सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है

जब बाल श्रम वास्तविकता है तो हम यदि अनौपचारिक शिक्षा न भी चलाएं तब भी यह व्यवस्था करें कि आयु के आधार पर विशेष कैंप लगाकर बच्चों को अपनी आयु के समकक्ष शैक्षिक स्तर तक लेकर आएं। इस कार्य में स्वैच्छिक संस्थाओं की विशेष भूमिका है। आइए, साक्षरता दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने का संकल्प लें जिससे पूरे देश में, विशेषकर हमारे राजस्थान में, कोई भी वयस्क या बालक-बालिका शिक्षा के आलोक से वंचित न रहे।

राजेन्द्र भाणावत,
पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी

दो दशक से बंद पड़े हैं देवयानी सरोवर में पानी आवक के प्राकृतिक रास्ते

प्रशासन की अनदेखी के चलते देवयानी सरोवर में भरा पड़ा कचरा।

सांभरझील, (निसं)। अति प्राचीन देवयानी सरोवर में प्राकृतिक पानी के अवरुद्ध रास्त बंद होने से तीर्थ स्थल का प्राकृतिक वजूद काफी कम होता जा रहा है। इसके लिए पूर्व में भी पर्यटन मंत्री व पालिका प्रशासन से लागों ने आग्रह किया पर हालात जस के तस बने हुए हैं।

■ रखरखाव की कमी से तीर्थ स्थल की शोभा पर दाग लगा

जानकारी अनुसार महाभारत एवं अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित देवयानी सरोवर के प्राकृतिक रास्ते करीब दो दशकों से भी अधिक समय से बंद हैं। बीते वर्षों में पर्यटन और पुरातत्व विभाग की ओर से इस तीर्थ स्थल के जीर्णोद्धार व रखरखाव के लिए अब तक 50 लाख से अधिक रुपए फूंके जा चुके हैं। इसके बावजूद सरोवर पर बने अनेक मंदिरों कि आभा लौट सकी और न हीं कुंड में जल भराव का स्थाई समाधान निकल सका।

यह बताना जरूरी है कि इस सरोवर को पानी से भरने के लिए दो दफा बारिश के जल को लिफ्टिंग कर इस सरोवर को लबालब किया गया था। जिसमें अनेक भामाशाहो ने उन्मुक्त हाथों से अपना आर्थिक योगदान एवं पालिका प्रशासन की ओर से भी संसाधन उपलब्ध करवाए गए थे तो कुछ संसाधन यहां की काम करने वाली युवा टीम ने अपने स्तर पर जुटाये थे लेकिन स्थानीय प्रशासन व शासन के स्तर पर ऐसी कोई कवायद आज तक देखने को नहीं मिल रही है। इस दिशा में यहां के पुजारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां होने वाले विकास कार्य मैं कथित रूप से जमकर भ्रष्टाचार हुआ।

इसी संदर्भ में स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र सुरेशचंद्र अग्रवाल, देवयानी स्थित बड के बालाजी मंदिर के पुजारी विवेक शर्मा व विकास शर्मा का कहना है कि सरोवर के अस्तित्व को बचाने के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी अन्यथा यह पुराणिक तीर्थ स्थल एक दिन इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा जाएगा।

बाजरे की फसल में लट का प्रकोप

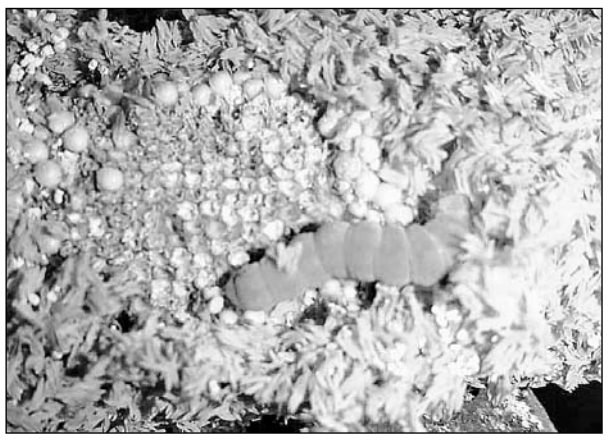

लूणवां क्षेत्र में बाजरे की फसल में लगी लट।

सांभरझील, (निसं)। लूणवां क्षेत्र के आस-पास के खेतों में इन दिनों कुदरत कहर बरफा रही है। लटों का प्रकोप बढ़ने से बाजरे की फसल खराब होने के कगार पर है।

■ 30 से 40 प्रतिशत तक फसल में नुकसान हो गया है

किसान जगदीश जाट ने बताया कि बीस बीघा खेत में बाजरे की फसल बोई हुई है। कही-कही बाजरे की फसल पर चेपा उत्पन्न होने लगा है तो कहीं काली, भूरे व हरे रंग की लटें बाजरें की बालियों को खा रही हैं। किसान भाइयों ने बताया पहले कोरोना की मार, फिर बरसात इंतजार और अब लटों के वार ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। ड्योढी कोढी, शेरपुरा, लूणवा सहित आसपास के समूचे क्षेत्र के खेतों में लटों का प्रकोप दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। अब जब फसलें पकने की स्थिति में है तो कई दिनों से मौसम में नमी रहने से लटों और चेपा जैसे रोगों ने चपेट में ले लिया।

लटों का प्रकोप बढ़ने से बाजरे के एक-एक सिट्टे पर तीन से चार लटें देखते ही देखते चट कर रही हैं। जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरना शुरू हो गई हैं।

किसानों की सरकार से लटों के प्रकोप से फसलों को बचाने के उपाय की मांग की है। किसानों ने कहा कि पसीना बहाने के बाद भी कुदरत रूठ रही है किसानों ने कहा कि 15 दिन पहले तक बाजरे की फसल में बंपर पैदावार होने की संभावना थी लेकिन अचानक से लट रोग के लग जाने से पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। जिससे 30 से 40 प्रतिशत तक फसल में नुकसान हो गया है। किसानों ने सरकार से गुहार लगाते हुए खराब हुई फसल का मुआवजा देने की तथा शेष फसल को बचाने के उपाय की मांग की है।

साक्षरता सामाजिक आर्थिक विकास का आधार

किसी देश को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने की बुनियाद है

साक्षरता और विकास का निकट का सम्बन्ध है। विश्व में साक्षरता की बात करें तो नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। इन देशों का विकास भी काफी अच्छा है। 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा 17 नवम्बर 1965 को सयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा की गई।

अगर हम विश्व की साक्षरता की बात करें तो विश्व की साक्षरता 57 प्रतिशत के आस-पास है। विश्व में सबसे ज्यादा साक्षरता नार्वे, स्वीडन, अमेरिका जैसे देश की साक्षरता 95 से 100 प्रतिशत तक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस राखी गई है।

देश की कुल आबादी का एक चौथाई तक़रीबन 30 करोड़ लोग आज भी अशिक्षित हैं। भारत की कुल साक्षरता 74.4 प्रतिशत है। जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है जहां 93 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। जिसमें पुरुष साक्षरता 96 प्रतिशत और महिला साक्षरता 92 प्रतिशत है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है जिसकी साक्षरता 63.82 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश भी पाँच सबसे कम राज्यों में शामिल है। इसी कारण विकास की दौड़ में ये प्रदेश अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़े हुए हैं। शिक्षा मानव

डॉ. मोनिका ओझा खत्री

प्रगति का आखरी रास्ता है। साक्षरता पढ़ने और लिखने के लिए भाषा का उपयोग करने की एक क्षमता है।

देश-दुनिया से गरीबी को जड़मूल से हटाने, आबादी के विस्फोट को रोकने के साथ जन जन तक लोक कल्याणकारी कार्यों को पहुँचाने के लिए यह बहुत जरूरी है की प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो। यह किसी देश को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने की बुनियाद है।

हम साक्षर व्यक्ति को रोजी रोटी की सुविधा सुलभ करा कर देश से निरक्षरता के अँधेरे को भगा सकते है। हालाँकि केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित कर रही है मगर जब तक ऐसे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक साक्षरता अभियान को पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जा सकता।

साक्षरता लोगों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बन सकती है। इसका सामाजिक एवं आर्थिक विकास से गहरा संबंध है। गरीबी उन्मूलन में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच समानता के लिए जरूरी है कि महिलाएं भी साक्षर बनें। जीने के लिये खाने की तरह ही साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय तथा समाज के हर वर्ग को साक्षरता का महत्व बताकर उन्हें साक्षर करना है।

डॉ. मोनिका ओझा खत्री
जयपुर

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 8 सितम्बर, 2022

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2079, श्रवण नक्षत्र दिन 1:46 तक, अतिगंड योग रात्रि 9:40 तक, कौलव करण दिन 10:34 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:39 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मकर, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-सिंह, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज रवियोग दिन 1:46 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, गोत्रि रात्रि व्रत आरम्भ है। पंचक रात्रि 12:39 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:46 तक, लाभ-अमृत 12:25 से 3:30 तक, शुभ 5:03 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:07, सूर्यास्त 6:51

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेंगी और व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

मिथुन

अपनी कार्य योजना को आज और सीमित रखें। आज शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ने का भय है।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बढ़ेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

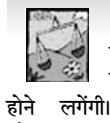

तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले सुसंदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेंगी।

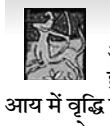

धनु

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मकर

व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक कार्य में विलम्ब होने का भय रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

कुंभ

व्यक्तिगत कार्यों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। परिवार में वाद-विवाद बढ़ने का भय बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मीन

परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार सम्पन्न हो सकते हैं।